vinetur

छह अल्कोहल व्यापार समूहों ने कांग्रेस से 11 दिसंबर को हेम्प-आधारित THC पर सख्ती लागू होने देने की अपील की

बीयर, वाइन और स्पिरिट्स उद्योग के नेताओं का कहना है कि समयसीमा बढ़ाने से नशीले हेम्प उत्पादों का हल्के नियमन वाला बाजार बना रहेगा

शुक्रवार, 20 नवंबर 2026



अमेरिका के बीयर, वाइन और स्पिरिट्स उद्योग के छह बड़े समूहों के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस से नशीले हेम्प-व्युत्पन्न THC उत्पादों पर संघीय सख्ती में देरी की किसी भी कोशिश को खारिज करने की अपील की। उनका तर्क था कि सांसदों को 11 दिसंबर की समयसीमा तय कार्यक्रम के मुताबिक लागू होने देनी चाहिए।

कांग्रेस को लिखे कड़े शब्दों वाले पत्र में संगठनों ने कहा कि THC हेम्प की जिस खामी को वे loophole कहते हैं, उसे जारी रखने के प्रस्ताव ऐसा बाजार बनाए रखेंगे जिस पर बहुत कम नियमन है—और यह सब सामान्य विधायी समीक्षा के बिना होगा। पत्र में कहा गया कि ये प्रस्ताव “सुरक्षित, सुविनियमित बाजार सुनिश्चित करने में विफल हैं” और इन्हें “किसी

समिति की एक भी सुनवाई, संशोधन-प्रक्रिया या कांग्रेस की कोई अन्य ठोस कार्रवाई अथवा समीक्षा नहीं मिली है।"

पत्र पर American Distilled Spirits Alliance, Beer Institute, WineAmerica, American Whiskey Association, Distilled Spirits Council of the United States और Wine Institute के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए। ये समूह मिलकर देश के अल्कोहल आपूर्ति उद्योग के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।

यह विवाद उन हेम्प उत्पादों को लेकर है जिनके बारे में आलोचकों का कहना है कि उनका विस्तार कांग्रेस की मंशा से कहीं आगे हो गया है। कांग्रेस ने 2014 के कृषि विधेयक में हेम्प उत्पादन और अनुसंधान के लिए एक पायलट कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। 2018 के Farm Bill में कांग्रेस ने मारिजुआना और हेम्प के बीच अंतर किया और हेम्प के गैर-नशीले औद्योगिक तथा कैनाबिडियॉल उपयोगों को समर्थन दिया।

अल्कोहल समूहों ने सांसदों से कहा कि बाद में कंपनियों ने इन बदलावों का फायदा उठाया और रासायनिक प्रक्रियाओं के जरिए प्राकृतिक रूप से प्राप्त कैनाबिनॉइड्स को नशीले THC उत्पादों में बदलने लगीं। पत्र में कहा गया कि इससे ऐसे उत्पादों का तेजी से बढ़ता बाजार बना जिन्हें उन्होंने बड़े पैमाने पर अनियमित, बिना जांचे-परखे और बिना कर वाले उत्पाद बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इन उत्पादों की बिक्री जारी है, जबकि Food and Drug Administration का रुख है कि भोजन में नशीले कैनाबिनॉइड्स मिलाना गैरकानूनी है।

कांग्रेस ने 2025 में नियम सख्त करने की दिशा में कदम उठाया। उस वर्ष सांसदों ने एक उपाय पारित किया, जिस पर राष्ट्रपति Donald Trump ने हस्ताक्षर किए। इसके तहत खुदरा बिक्री के हर कंटेनर में कुल THC की सीमा 0.4 milligrams तय की गई। हेम्प-व्युत्पन्न THC पेय और अन्य उत्पादों के समर्थकों का तर्क है कि यह मानक व्यवहार में खाद्य और पेय पदार्थों में THC हेम्प के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के बराबर है।

आपूर्तिकर्ता समूहों ने कहा कि कारोबारों को बदलाव के लिए पूरे एक साल का समय दिया गया था। पत्र में कहा गया, "इस प्रावधान को 11 दिसंबर, 2026 को बिना किसी और देरी या समयविस्तार के पूरी तरह लागू होने देना चाहिए।"

उनका तर्क था कि कांग्रेस ने नशीले हेम्प उत्पादों की एक नई श्रेणी के लिए अलग संघीय ढांचा बनाने का जरूरी काम नहीं किया है, जो उनके विचार में मारिजुआना जैसी है। पत्र में कहा गया कि उपभोक्ताओं और कारोबारों की सुरक्षा करने वाली व्यवस्था बनाने के लिए पर्याप्त समय, विशेषज्ञता और समन्वय चाहिए होगा ; इसे विधायी प्रक्रिया के अंतिम चरण में किए गए संशोधन के जरिए नहीं बनाया जा सकता।

यह बहस पेय उद्योग के भीतर बढ़ती दरार को उजागर करती है। बीयर, वाइन और स्पिरिट्स के आपूर्तिकर्ता मौजूदा प्रतिबंध लागू होने देना चाहते हैं, वहीं Wine & Spirits Wholesalers of America ने एक अलग रास्ते का समर्थन किया है। थोक विक्रेताओं का यह समूह THC पेय को वैध बनाने के पक्ष में है और कह चुका है कि इन उत्पादों का नियमन अल्कोहल के लिए इस्तेमाल होने वाली व्यवस्था जैसी प्रणाली के तहत होना चाहिए।

आपूर्तिकर्ता समूहों ने इस विचार को समय से पहले का प्रस्ताव बताते हुए खारिज किया। उनके पत्र में कहा गया कि अल्कोहल उद्योग 4,000 से अधिक संघीय कानूनों और नियमों के तहत काम करता है—यह ढांचा कई दशकों में बना है। उनके अनुसार, इस व्यवस्था को हेम्प-व्युत्पन्न नशीले उत्पादों के लिए जल्दबाजी में ढालने से राज्य के अटॉर्नी जनरल, कानून प्रवर्तन समूहों और जनस्वास्थ्य समर्थकों की ओर से उठाई गई चिंताओं का पूरा समाधान नहीं होगा।

पत्र में THC से जुड़े हित समूहों के जल्दबाजी वाले प्रस्तावों के प्रति भी आगाह किया गया। इसमें कहा गया कि इन योजनाओं का उद्देश्य मारिजुआना नीति पर व्यापक बहस या पूरी तरह विकसित सुरक्षा व्यवस्था के बिना, कुछ नशीले THC उत्पादों को संघीय स्तर पर वैध बनाने का "पिछला दरवाजा" खोलना है।

कांग्रेस को दिए संदेश में उपभोक्ता सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा थी। समूहों ने कहा कि खरीदारों को खुदरा दुकानों की अलमारियों पर बिकने वाले उत्पादों की सुरक्षा पर भरोसा कर पाने में सक्षम होना चाहिए, खासकर तब जब उनसे नशा हो

सकता हो। यह तर्क तब और प्रमुख हुआ है जब हेम्प-व्युत्पन्न THC पेय उन राज्यों में सुविधा स्टोरों, शराब की दुकानों और अन्य बिक्री केंद्रों तक फैल गए हैं जहां नियम और उन्हें लागू करने के तरीके अलग-अलग हैं।

इस लड़ाई का महत्व मादक पदार्थ नीति से आगे तक जाता है, क्योंकि इससे तय हो सकता है कि पेय कंपनियां क्या बेच सकती हैं, खुदरा विक्रेता अलमारियों की जगह कैसे बांटते हैं और अल्कोहल की बढ़ती THC-मिश्रित पेय श्रेणी से कैसी प्रतिस्पर्धा होती है। यह उत्पादकों और थोक विक्रेताओं के बीच इस बात पर मतभेद भी दिखाता है कि हेम्प-व्युत्पन्न नशीले उत्पादों को दिसंबर के मानक के तहत बाजार से बाहर रखा जाना चाहिए या विनियमित पेय बाजार में शामिल किया जाना चाहिए।

अब कांग्रेस पर उद्योग के अलग-अलग हिस्सों की ओर से दबाव है। एक ओर अल्कोहल आपूर्तिकर्ताओं का तर्क है कि दिसंबर की समयसीमा पहले से पारित कानून का हिस्सा है और इसे कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, हेम्प-व्युत्पन्न THC पेय के समर्थक इन उत्पादों को बाजार में बनाए रखने के लिए अधिक समय या नया नियामक ढांचा चाहते हैं। नतीजे से तय करने में मदद मिलेगी कि संघीय सरकार नशीले हेम्प पेय को किसी खामी का प्रतिबंधित उप-उत्पाद मानती है या ऐसी श्रेणी, जिसके लिए दीर्घकालिक नियामक ढांचा होना चाहिए।